निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 11/2023
दायरा दिनांकः–20.06.2023
निर्णय दिनांकः– 13.7.24

उनवान

घींसी बाई आयु 70 वर्ष पत्नि नंदराम जाति लोधा निवासी ग्राम बापचा तहील छबडा जिला बारां।

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट
निर्णय दिनांकः– 13.7.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री नारायण लाल चौरसिया – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया के पति नंदराम पुत्र नाथुलाल के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 162/155 खसरा नम्बर 457/5 की 2.352 है0 भूमि ग्राम बापचा तहसील छबडा में स्थित है जिसमें प्रार्थीया के पति नंदराम का स्वर्गवास हो गया है प्रार्थीया के पति के खातेदारी की भूमि पर प्रार्थीया का ही कब्जा काश्त है जिसमें प्रार्थीया के पति का 1/2 हिसा निहित है। प्रार्थीया के पति का नाम नकल जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में नंदराम के स्थान पर नंदलाल लिख दिया है जबकि राशन कार्ड आधार कार्ड अन्य दस्तावेज में नंदराम दर्ज है जो त्रुटि राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से राजस्व रिकार्ड में जमाबन्छी में दर्ज हुई है जिसे न्यायाहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है जबकि प्रार्थीया के पति का सही नाम नंदराम पुत्र नाथुलाल है। उक्त खाते में इंतकाल खुलवाने के लिये खाता दुरूस्त किया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। जब प्रार्थीया ने खाता दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र तहसीलदार छबडा को दिया जो हल्का पटवारी ने बताया कि न्यायालय एस0डी0ओ0 छबडा में 136 का दावा पेश कर आदेश लाने की कहने पर वाद कारण दिनांक 28.04.2023 को उत्पन्न हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.09 17:29:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया का प्रा[illegible] दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया ग[illegible] प्रार्थीया द्वारा [illegible] के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बापचा सम्वत् 2073–76 खाता [illegible] 162 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बापचा तहसील छबडा में स्थित है प्रार्थीया के पति नंदराम का स्वर्गवास हो गया है प्रार्थीया के पति का उक्त

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
छबड़ा जिला बाराँ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा निहित है प्रार्थीया के पति का नाम राजस्व रिकार्ड में नंदराम के स्थान पर नन्दलाल लिख दिया है जबकि राशन कार्ड आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज में नन्दराम दर्ज है प्रार्थीया उक्त त्रुटि को दुरूस्त कराना चाहती है प्रार्थीया के पति का नाम नन्दलाल के स्थान पर नन्दराम दर्ज किया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बापचा सम्वत 2073–76 खाता संख्या 162 में नन्दलाल पुत्र नाथुलाल हिस्सा 1/2 जाति लोधा दर्ज रिकार्ड है तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा द्वारा रिपोर्ट में बताया कि ग्राम बापचा के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खसरा नम्बर 457/5 पर नन्दलाल पुत्र नाथुलाल जाति लोधा के वारिसो का उक्त भूमि पर कब्जा है खसरा नम्बर 457/5 में घींसीबाई के पति का नाम नन्दलाल पुत्र नाथुलाल दर्ज है ग्राम वासियों एवं 457/5 के सहखातेदारो का 1/2 भाग है मांगीलाल पुत्र मनीराम जाति लोधा द्वारा बताया कि नन्दराम व नन्दलाल नाम दोनो एक ही व्यक्ति का नाम है। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट से भी नन्दलाल व नन्दराम एक ही व्यक्ति ही होना बताया है तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्राथीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम बापचा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 457/5 रकबा 2.3520 है0 में दर्ज नन्दलाल के स्थान पर नन्दराम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
छबड़ा जिला बारां (राज.)

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.09 17:29:00 IST
Reason: SelfAttested